न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी

खतीजा पत्नि युसुफ पिता आदम घांची वगैरा(2) निवासी पीठ

अप्रार्थी

श्री जैनाब पत्नि मजिद पिता साजी घांची मुस्लमान वगेरा(7) निवासी पीठ

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल्स जा.दी. सपठित 151 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्याः 46/2019 (2019/00068)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.02.2020 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किये जाना बताया कि प्रार्थिगण को मौजा पीठ में खाता संख्या 328 खसरा न.1689, 1764, 1767, 1831 खेत किता 4 कुल रकबा 8.17 बीघा मोजा नवलपुरा के खाता संख्या 32 खसरा संख्या 930 रकबा 2.11 बीघा खाता संख्या 27 खसरा न. 932, 933 रकबा 3.00 बीघा होकर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण को खातेदारी विरासती आराजी में काश्त करने में रूकावट अप्रार्थी संख्या 1 से 7 न तो स्वयं करें एवं न ही अपने मित्र एजेन्ट से करावे। वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा विक्रय बक्षीस , रहन नहीं करे। व अप्रार्थी संख्या 8 ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं करे जिससे वाद ग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा हस्तान्तिरत माना जावे। हमने वकील पक्षकारगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को ता फैसला मूलवाद रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुए। राहत दी जाना उचित समझता हुँ। अतः मौजा पीठ में खाता संख्या 328 खसरा न.1689, 1764, 1767, 1831 खेत किता 4 कुल रकबा 8.17 बीघा मोजा नवलपुरा के खाता संख्या 32 खसरा संख्या 930 रकबा 2.11 बीघा खाता संख्या 27 खसरा न. 932, 933 रकबा 3.00 बीघा होकर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण को खातेदारी विरासती आराजी में काश्त करने में रूकावट अप्रार्थी संख्या 1 से 7 न तो स्वयं करें एवं न ही अपने मित्र एजेन्ट से करावे। वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा विक्रय बक्षीस , रहन नहीं करे। व अप्रार्थी संख्या 8 ऐसा कोई दस्तावेज सम्पादित नहीं करे जिससे वाद ग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा हस्तान्तिरत माना जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा संलग्न मूलवाद रहे। (के.आर.खौड RAS) उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा	